Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जयपुर में सवाई मानसिंह अस्पताल का वित्तिय सलाहकार व आरएमआरएस का केशियर, सहायक लेखाधिकारी 15.6 लाख रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार ।**
- **आरएमआरएस प्रभारी चिकित्सक डिटेन**
- **केशियर के घर से 50 लाख की संदिग्ध राशि जब्त**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *20 मई शुक्रवार* / ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की जयपुर ग्रामीण इकाई द्वारा आज जयपुर में कार्यवाही करते हुये सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के वित्तिय सलाहकार श्री बृजभूषण शर्मा, अजय शर्मा केशियर, प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी को 15.6/—रूपये रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया है। तथा आरएमआरएस प्रभारी डॉ0 अधोकक्षाज जोशी मेड़िकल ऑफिसर को डिटेल किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि मैं निजी अस्पताल का संचालन करता हूँ, मेरे अस्पताल द्वारा सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर में पीपीपी मॉड़ल पर रेडियशन थेरेपी की मशीन लगाई थी जिसका करीब 5 करोड़ रूपये का भुगतान होना शेष है। सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर के वित्तिय सलाहकार श्री बृजभूषण शर्मा तथा आरएमआरएस के अधिकारियों द्वारा उक्त भुगतान राशी जारी करने की एवज में 15 लाख रूपये रिश्वत राशि बतौर कमिशन मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर **एसीबी के अति0 महानिदेशक पुलिस श्री दिनेश एम.एन. के पर्यवेक्षण** में तथा **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री विष्णुकान्त के निर्देशन में** ए.सी.बी. की जयपुर ग्रामीण इकाई के **अति0 पुलिस अधीक्षक श्री आहद खान** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर मय टीम **श्री संजय कुमार उप अधीक्षक पुलिस, श्री मानवेन्द्र सिंह पुलिस निरीक्षक, श्री नीरज भारद्वाज पुलिस निरीक्षक** के ट्रेप कार्यवाही करते हुये श्री बृजभूषण शर्मा पुत्र हरिशंकर शर्मा निवासी ग्राम महुवा खेड़ी पुलिस थाना कंचनपुर जिला धोलपुर, हाल म0नं0 82 शिवम नगर नियर एसकेआईटी कॉलेज रामनगरिया जयपुर, हाल वित्तिय सलाहकार (एफए) सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को स्वयं के लिए 7,80,000/—रूपये तथा श्री अजय शर्मा केशियर, श्री प्रकाश शर्मा सहायक लेखाधिकारी आरएमआरएस सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को पृथक से 7,80,000/—रूपये कुल 15.6 लाख रूपये रिश्वत राशि लेते गिरफ्तार किया गया है। डॉ0 अधोकक्षाज जोशी ऐनेथेसिया मेडिकल ऑफिसर प्रभारी आरएमआरएस सवाई मानसिंह अस्पताल जयपुर को डिटेन किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपीयान के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। तलाशी के दौरान आरोपी अजय शर्मा के घर पर करीब 50 लाख रूपये नकद मिले है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.* 1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.* 94135–02834** पर 24x7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।